उत्तर मैट्रिक छात्रवृति 2015

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9 (4) (7)/छात्र/अ.ति./सान्याअवि/2014-15/13560 जयपुर, दिनांक 9/03/2015

आदेश

राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनायें, जैसे : अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) हेतु वर्ष 2014-15 में राज्य के मान्यता प्राप्त/संबद्धता प्राप्त पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृति पोर्टल के लिए छात्रवृति वेबपोर्टल **rajpms.nic.in पर तृतीय चरण (09 मार्च से 20 मार्च, 2015 तक)** में आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र लॉक करने, हार्डकॉपी शिक्षण संस्था में जमा कराने एवं शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन पत्र लॉक कर जिला कार्यालय में ऑन लाईन फारवर्ड करने एवं अपनी अनुशंषा सहित आवेदन पत्र की हार्डकॉपी जिला कार्यालय में जमा कराने के लिए निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की गई है। अतः विद्यार्थी एवं राजकीय, निजी, स्वायत्तशाषी मान्यता प्राप्त, राष्ट्रीय स्तर की सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारियों को निर्धारित तिथियों के अनुरूप उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र संबंधी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :

क्र.सं.	विषय वस्तु	निर्धारित अन्तिम तिथि
1.	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन करने के लिए ऑनलाईन पोर्टल प्रारम्भ करने की तिथि।	09 मार्च, 2015
2.	आवेदक द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन पत्र लॉक करने की अंतिम तिथि।	20 मार्च, 2015
3.	आवेदक द्वारा ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने के उपरान्त आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ चैकलिस्ट के अनुसार संलग्न आवश्यक दस्तावेज संस्था में जमा कराने की अंतिम तिथि।	23 मार्च, 2015
4.	विद्यार्थियों द्वारा संस्था को प्राप्त समस्त ऑन लाइन आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी के साथ चैकलिस्ट के अनुसार संलग्न आवश्यक दस्तावेजों की जाँच उपरान्त संस्था प्रधान द्वारा आवेदन पत्र लॉक कर जिला कार्यालय में ऑन लाईन फारवर्ड करना एवं अपनी अनुशंषा सहित आवेदन पत्र की हार्डकॉपी जिला कार्यालय में जमा कराने की अंतिम तिथि।	24 मार्च, 2015
5.	संस्था से ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र आवेदन पत्रों की ऑनलाईन स्वीकृति जारी कर, ऑनलाइन बिल तैयार करवाकर, बजट मद अंकित करवाकर ट्रेजरी भिजवाना तथा ट्रेजरी से पारितशुदा बिलों की समस्त राशि विद्यार्थियों के खातों में हस्तानांतरित करवाना।	31 मार्च, 2015

उपरोक्तानुसार निर्धारित अंतिम तिथि के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु विद्यार्थियों, शिक्षण संस्थाओं एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश :-

1 अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 2.50 लाख रु. तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।

2. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 1.00 लाख रू. तक वार्षिक आय सीमा वाले निर्धारित प्राथमिकता क्रम 1 से 6 यथा बी.पी.एल., निःशक्त, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता, विधवा के बच्चे, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला के बच्चे ही ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे। इन प्राथमिकताओं के अतिरिक्त अन्य विद्यार्थियों के आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगें।

3. राजकीय, निजी एवं स्वायत्तशाषी मान्यता प्राप्त तथा राष्ट्रीय स्तर की सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थी ही ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगें।

4. जिन विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम एवं प्रवेश प्रथम एवं द्वितीय चरण की अन्तिम तिथि के पश्चात् घोषित हुए हैं एवं जो विद्यार्थी प्रथम एवं द्वितीय चरण में ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी तृतीय चरण में ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण कर सकेगें।

5. विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लॉक करने के उपरान्त चैकलिस्ट के अनुसार दस्तावेज संलग्न कर 3 दिवस में अनिवार्य रूप से हार्डकापी संबधित शिक्षण संस्थान में जमा करवानी होगी।

6. आवेदन करते समय आवेदक अपने आवेदन पत्र में अपना स्वयं का बैंक खाता संख्या ही अंकित करें।

7. **आवेदन द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन पत्र भरने, आवेदन पत्र लॉक करने, शिक्षण संस्था में हार्डकॉपी जमा कराने एवं संस्था द्वारा जिला कार्यालय में ऑनलाइन फारवर्ड करने एवं हार्डकॉपी जमा कराने का कार्य निर्धारित अन्तिम तिथि 20 मार्च, 2015 के पश्चात् नहीं किये जा सकेगा।**

8. उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के लिए शिक्षण संस्थाओं को प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्थान द्वारा अपने स्तर पर विस्तृत जांच उपरान्त अपूर्ण आवेदन पत्र विद्यार्थी को फारवर्ड किए जावे तथा अपात्र आवेदन पत्र संस्था के स्तर पर ही खारिज किये जावे।

9. शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्रवृति योग्य अर्थात् पात्र विद्यार्थियों के आवेदन पत्र दिनांक 24 मार्च, 2015 तक संबंधित जिला कार्यालय को ऑनलाइन फारवर्ड किया जाकर हार्डकापी जमा करवायी जावे।

10. शिक्षण संस्था को प्राप्त आवेदन पत्रों को यदि संबंधित शिक्षण संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में जिला कार्यालय को विस्तृत जांच उपरान्त छात्रवृति योग्य अर्थात् पात्र विद्यार्थियों के आवेदन पत्र फारवर्ड नहीं किया जाता है तथा हार्डकॉपी जमा नहीं करवाई जाती है, तो ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त समझा जावेगा। देरी की वजह से आवेदन पत्र निरस्त होने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित शिक्षण संस्था की होगी।

11. **शिक्षण संस्थाओं द्वारा विद्यार्थी को फीस पुर्नभरण के रूप में देय छात्रवृति राशि के लिए स्वीकृतकर्ता अधिकारी को प्रेषित प्रस्ताव में रिफन्डेबल शुल्क यथा : कॉशन मनी, सिक्योरिटी शुल्क, विकास शुल्क आदि को छोडकर अप्रतिदेय शुल्क** (Reimbursement of Compulsory Non Refandable Fee like : Enlorment/Registration, Tution, Games, Union, Library, Magazine, Medical Exmanition and such other fee) **के विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम राशि के अनुरूप ही प्रस्ताव बनाकर स्वीकृतकर्ता अधिकारी को प्रेषित किए जाऐंगे। निर्धारित राशि से अधिक राशि तथा कॉशन मनी, सिक्योरिटी शुल्क, विकास शुल्क आदि के प्रस्ताव प्रेषित करने की स्थिति में स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा समस्त प्रस्ताव खारिज कर पुनः संबंधित शिक्षण संस्थाओ को प्रतिप्रेषित कर दिए जाऐंगे।** निर्धारित राशि के अनुरूप प्रस्ताव प्रेषित नहीं होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त होने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित शिक्षण संस्था की होगी।

12. जिन शिक्षण संस्थाओं के संस्था प्रधानों द्वारा बिना पूर्ण जांच किये अपात्र/अपूर्ण आवेदन पत्र अपनी अनुशंषा सहित छात्रवृति स्वीकृति हेतु जिला कार्यालय को ऑनलाइन फारवर्ड किये जाते है एवं हार्डकॉपी जमा करवाई जाती हैं तथा अपात्र विद्यार्थी को छात्रवृति स्वीकृत हो जाती है, विद्यार्थी को निर्धारित राशि से अधिक राशि स्वीकृत हो जाती है तो संबंधित शिक्षण संस्थान के संस्था प्रधान का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए संबधित शिक्षण संस्था एवं संस्था प्रधान के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराओ के तहत आपराधिक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी तथा शिक्षण संस्थान को छात्रवृति से ब्लैक लिस्टेड कर दिया जावेगा।

13. विभाग/जिला कलक्टर/न्यायालय/संबधित मान्यता प्रदत्त संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड शिक्षण संस्थाओं में प्रवेशित विद्यार्थी ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कर सकेगें।

14. राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं में उत्तर मैट्रिक छात्रवृति आवेदन पत्र ऑनलाईन भरने एव विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण हेतु सभी शिक्षण संस्थाओं में हेल्प डेस्क का गठन किया जावे।

(अम्बरीष कुमार)
निदेशक

क्रमांक : एफ 9 (4) (7)/छात्र/अति./सान्याअवि/2013-14/13561-760 जयपुर, दिनांक 9/3/2015

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
3. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सहायक, अति. निदेशक (अनु. जाति/जनजाति) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
6. सयुक्त निदेशक (देवनारायण) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
7. उप निदेशक, (पि.जा.) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
8. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
9. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, जोधपुर
10. निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर
11. जिला कलेक्टर (समस्त)
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
13. कोषाधिकारी (समस्त)
14. प्रभारी अधिकारी (समस्त) आयुक्तालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
15. उपनिदेशक/सहायक निदेशक/ जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सान्याअवि
16. प्राचार्य राजकीय शिक्षण संस्था (समस्त) को पालनार्थ।
17. सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यालय को समाचार पत्रों में प्रचार-प्रसार हेतु।
18. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/प्रोग्रामर, मुख्यावास को विभागीय वेबसाइड एवं छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्त कार्यक्रमानुसार हेडलाइन देना एवं मध्यप्रदेश NIC से संपर्क कर 09 मार्च, 2015 से छात्रवृति पोर्टल प्रारम्भ करवाया जाना सुनिश्चित करने तथा उपरोक्त अधिकारियों को जरिये ई-मेल सूचित करवाये जाने हेतु।
19. सहायक निदेशक (शिक्षा) एवं सहायक लेखाधिकारी (छात्रवृति) को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाया जाना सुनिश्चित करें।

9/3/15
(डॉ. हरसहाय मीणा)
अतिरिक्त निदेशक
(अनु. जाति/जनजाति कल्याण)

प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्र प्रोत्साहन राशि योजना

राजस्थान सरकार

परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर

क्रमांक एफ–3 ( )/टीएडी/शिक्षा/2014–15/3059-71)   दिनांक : 2-12-14

Th
10.12.14

1 अधिष्ठाता, विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर।
2 अधिष्ठाता, वाणिज्य महाविद्यालय, उदयपुर।
3 अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी (कला) महाविद्यालय, उदयपुर।
4 रजिस्ट्रार, राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय, उदयपुर।
5 प्राचार्य, मीरा गर्ल्स महाविद्यालय, उदयपुर।
6 प्राचार्य, महाराणा संस्कृत महाविद्यालय, उदयपुर।
7 प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय कोटडा/झाडोल/खेरवाडा/सराडा जिला उदयपुर।
8 प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, खेरवाडा जिला उदयपुर।
9 प्राचार्य, हाडीरानी महाविद्यालय, सलूम्बर जिला उदयपुर।

विषय – महाविद्यालय में वर्ष 2014–15 में अध्ययनरत **जनजाति छात्र–छात्राओं को प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान प्रोत्साहन राशि योजना** के क्रम में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजकीय महाविद्यालयों में वर्ष 2014–15 में अध्ययनरत प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्र–छात्राओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अतः

1. ऐसे छात्र–छात्रा जो अनूसूचित क्षेत्र का निवासी है।
2. ऐसे छात्र–छात्रा जिनके अभिभावक आयकर दाता नही है यदि अभिभावक राजकीय सेवा में हो तो फार्म नं 16 की प्रति।
3. ऐसे छात्र–छात्रा नियमित अध्ययनरत हो एवं कक्षा 12 में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण हो।
4. यदि छात्र वर्तमान में द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में अध्ययनरत हो तो पिछली कक्षा में 48 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक पर ही यह लाभ देय है।

के प्रस्ताव आप द्वारा प्रमाणित किये जाकर समेंकित सूची निम्न प्रारूप में की दो प्रतियों के साथ शीघ्रताशीघ्र इस कार्यालय में भेजने का श्रम करावें।

योजना का नाम – प्रतिभावान प्रोत्साहन राशि योजना   दिनांक : 10.12.14
महाविद्यालय का नाम – राजकीय महाराणा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, उदयपुर   कुल छात्र संख्या : 14
महाविद्यालय का Ac.No./ Bank Name/IFSC Code 69340116 8812 – ICIC0006934

क्र. सं.	नाम छात्र/छात्रा	पिता का नाम	स्थाई पता मय मोबाईल नं.	अध्ययनरत कक्षा	बैंक खाता संख्या	बैंक का नाम	IFSC Code	राशि

उपरोक्त सूची की सूचना हार्ड कापी में (माईक्रोसोफट एक्सल) एवं सी0डी0 में तैयार की जाकर साथ में भिजवाने का श्रम करावें।

परियोजना अधिकारी
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर

क्रमांक एफ–3 ( )/टीएडी/शिक्षा/2014–15/   दिनांक :

प्रतिलिपि – श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।

परियोजना अधिकारी
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर

क्र.सं.	योजना का नाम	**बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता**
1	देय लाभ	बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में जो छात्र प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण करते है 350/– प्रतिमाह की दर से 10 माह तक छात्रवृति का भुगतान किया जावेगा।
2	लक्षित लाभार्थी	जनजाति छात्र जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की हो अथवा कॉलेज में सामान्य शिक्षा में ग्रेज्यूऐशन (प्रथम श्रेणी) में उत्तीर्ण की हो तथा अगली कक्षा में प्रवेश लिया हो इसके लिये पात्र होंगे । जिन छात्र के माता –पिता आयकरदाता है उन्हें यह छात्रवृति देय नहीं होगी।
3	पात्रता	1. दसवीं बोर्ड की परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों को ग्यारवी कक्षा में अध्ययन के दौरान एवं उस छात्र द्वारा ग्यारहवी कक्षा में कम से कम 48 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों तो बारहवी कक्षा में अध्ययन के दौरान राशि देय होगी। 2. बारहवी की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले छात्र को ग्रेज्युएशन के दौरान प्रथम वर्ष प्रोत्साहन राशि देय होगी। उस छात्र के प्रथम वर्ष की परीक्षा में कम से कम 48 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही द्वितीय वर्ष में प्रोत्साहन राशि देय होगी। इस प्रकार द्वितीय वर्ष की परीक्षा में कम से कम 48 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को ही तृतीय वर्ष में राशि देय होगी। 3. स्नात्तकोत्तर कक्षाओं में अध्ययन के दौरान भी उक्त शर्ते लागू होगी।
4	आवेदन कहॉ प्रस्तुत किया जाना है।	संबधित महाविद्यालय/विद्यालय जिसमें छात्र अध्ययनरत है।
5	आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज	मार्कशीट, आय प्रमाण–पत्र, मूल निवास प्रमाण–पत्र, नियमित अध्ययनरत का प्रमाण–पत्र
6	स्वीकृति की प्रक्रिया	सम्बधित जिले का परियोजना अधिकारी जनजाति/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन परियोजना अधिकारी, (माडा) जिला परिषद
7	स्वीकृतकर्ता अधिकारी	सम्बधित जिले का परियोजना अधिकारी जनजाति/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन परियोजना अधिकारी, (माडा) जिला परिषद
8	वितरणकर्ता अधिकारी	सम्बधित जिले का परियोजना अधिकारी जनजाति/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन परियोजना अधिकारी, (माडा) जिला परिषद
9	वितरण की प्रकिया	सम्बधित छात्र के बैक खाते में जमा
10	विशेष विवरण	

T

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति 2014-2015

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9 (4) (7)/छात्र/अं.ति./सान्याअवि/2014–15/ 40036–40326 जयपुर, दिनांक : 04.08.2014

प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, महाराणा आचार्य, संस्कृत महाविद्यालय, उदयपुर

उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं परिवीक्षा अधिकारी (समस्त)	संस्था प्रधान (समस्त), राजकीय शिक्षण संस्थाऐ, राजस्थान

विषय :– वित्तीय वर्ष 2014–15 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु ऑन लाईन आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु छात्रवृति स्वीकृतकर्ता अधिकारियों के लिए दिशा–निर्देश।

प्रसंग :–विभागीय आदेश क्रमांक एफ 9 (4) (7)/छात्र/अं.ति./सान्याअवि/ 2013–14/ 33969 जयपुर, दिनांक 30.6.2014 एवं बैठक दिनांक 28.5.2014 एसं 3.6.2014 के क्रम में।

प्रासंगिक आदेश एवं बैठक निर्णयों के क्रम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 के लिए बेवपोर्टल **rajpms.nic.in** पर प्रथम चरण (1 अगस्त से 31 अक्टूबर, 2014 तक) एवं द्वितीय चरण (1 जनवरी से 31 जनवरी, 2015 तक) में जिला कार्यालय द्वारा ऑन लाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की ऑनलाईन स्वीकृतियां जारी करवाने, आक्षेप पूर्ति करवाने, स्वीकृत/आक्षेपित सूची बेवसाइट पर अपलोड करवाने तथा ट्रेजरी से पारित बिलों की समस्त राशि आवेदक के खाते में राशि हस्तांतरित करने तक की कार्यवाही के लिए निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं। **अतः समस्त छात्रवृति स्वीकृतकर्ता अधिकारी दिए गए निर्देशानुसार उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं उनकी हार्डकापी प्राप्त कर आवेदन पत्र प्राप्ति के अधिकतम 30 दिवस की समयावधि में आवेदन पत्र के निस्तारण संबंधी कार्यवाही अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करें। स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस में सम्पूर्ण कार्यवाही नहीं होने के स्थिति में संबंधित छात्रवृति स्वीकृतकर्ता अधिकारी (जिलाधिकारी, सान्याअवि एवं संस्था प्रधान) का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।**

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु छात्रवृति स्वीकृतकर्ता अधिकारियों के लिए दिशा–निर्देश :–

1- उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 में दो चरणों में पोर्टल खोला जायेगा। प्रथम चरण में 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक पोर्टल खोला जायेगा। इस चरण में प्राप्त आवेदन पत्रों का दिनांक 30 नवम्बर तक अनिवार्य रूप से निस्तारण किया जावे इसके पश्चात् द्वितीय चरण में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक पोर्टल खोला जायेगा जिसमें प्राप्त आवेदन पत्रों का 28 फरवरी तक निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जावे। जिसका समुचित प्रचार–प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें।

2- राजकीय, निजी एवं स्वायत्तशाषी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थी ही ऑनलाईन आवेदन कर सकेगें।

3- वर्ष 2013–14 के पोर्टल बन्द होने (दिनांक 20 जनवरी, 2014) के उपरान्त जिन विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित हुए है तथा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लिया है, ऐसे वंचित विद्यार्थी वर्ष 2014–15 के प्रथम चरण में आवेदन कर सकेगें।

4- जिन विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम एवं प्रवेश प्रथम चरण की अन्तिम तिथि के पश्चात् घोषित होते हैं, ऐसे विद्यार्थी द्वितीय चरण में ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण कर सकेगें।

5- आवेदन द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन पत्र भरने, आवेदन पत्र लॉक करने एवं संस्था द्वारा जिला कार्यालय/स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में ऑनलाइन फारवर्ड करने का कार्य निर्धारित अन्तिम तिथि (31 अक्टूबर, 2014 एवं 31 जनवरी, 2015) के पश्चात् नहीं किये जा सकेगें।

6- ऑन लाइन पोर्टल पर प्रतिदिन प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की छात्रवृति स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियमित मॉनिटरिंग की जावे।

7- शिक्षण संस्थाओं को ऑनलाइन प्राप्त छात्रवृति आवेदन पत्रों में से छात्रवृति योग्य अर्थात् पात्र विद्यार्थियों के आवेदन पत्र प्राप्ति के साथ–साथ ही स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन फारवर्ड करने तथा अधिकतम 5 दिवस में संबंधित जिला कार्यालय/स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन फारवर्ड करने तथा हार्ड कॉपी मय चैकलिस्ट एवं अभिशंषा के समस्त दस्तावेज जॉच उपरान्त अनिवार्य रूप से जिला कार्यालय/स्वीकृतकर्ता अधिकारी को भिजवाने हेतु संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जावे।

8- वित्तीय वर्ष 2014–15 में आमंत्रित किये जाने वाले उत्तर मैट्रिक छात्रवृति आवेदन पत्रों में शिक्षण संस्थाओं के संस्था प्रधानों को पात्र विद्यार्थियों के आवेदन पत्र ही छात्रवृति स्वीकृति हेतु अनुशंषा करते हुए स्वीकृतकर्ता अधिकारियों को प्रेषित करने एवं अपात्र विद्यार्थियों तथा अपूर्ण आवेदन पत्र प्रेषित नहीं किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए तथा जिन शिक्षण संस्थाओं द्वारा अपात्र विद्यार्थियों के आवेदन पत्र छात्रवृति स्वीकृति हेतु अनुशंषा की जावे उन शिक्षण संस्थाओं का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जावें।

की समयावधि में जिला कार्यालय/स्वीकृतकर्ता अधिकारी को फारवर्ड नहीं करता है तथा हार्डकापी जिला कार्यालय /स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में जमा नहीं करवाता है तो ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त किया जाकर संबंधित शिक्षण संस्थान को सूचित करावें।

10- संस्थान से ऑनलाइन आवेदन पत्रों की हार्डकापी प्राप्त होने पर चैकलिस्ट के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों सहित जांच कर स्वीकृति योग्य आवेदन पत्र अर्थात् छात्रवृति की पात्रता रखने वाले आवेदन पत्र ही संस्थान से प्राप्त किए जाये, अपूर्ण एवं अपात्र विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों की हार्डकापियां मय दस्तावेज संबंधित शिक्षण संस्था को वापिस लौटाये जाने हेतु संबंधित कार्मिक को निर्देशित किया जावे।

11- अपात्र एवं अपूर्ण आवेदन पत्र प्रेषित किए जाने वाले शिक्षण संस्थाओं एवं उनके संस्था प्रधानों के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने तथा संस्थाओं को छात्रवृति हेतु ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये।

12- वर्ष 2014–15 के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी के साथ चैकलिस्ट के अनुसार संलग्न दस्तावेजों की निर्धारित समयावधि में रैण्डम जॉच करवानें (कम से कम 20% आवेदन पत्रों की रैण्डम जांच कराने हेतु) हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होते ही अगले कार्य दिवस को जॉच अधिकारी/छात्रावास अधीक्षक को देने तथा जांच हेतु आवेदन पत्र की तिथि को शामिल करते हुए अधिकतम 7 दिवस में जांच किए हुए आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय को वापस लौटाने हेतु संबंधित जांच अधिकारी/छात्रावास अधीक्षक को निर्देशित किया जाये।

13- संस्था से प्राप्त आवेदन पत्रों की जॉच हेतु जॉच अधिकारीयों को जॉच संबंधी टिप्पणी में नियमानुसार देय छात्रवृति राशि (पुर्नभरण योग्य फीस राशि) एवं अनुरक्षण भत्ता (संस्थान में प्रवेश की तिथि से शैक्षणिक सत्र का अंतिम माह अधिकतम 10 माह)का अंकन करने के उपरान्त जांच दिनांक सहित हस्ताक्षर करनें हेतु निर्देशित किया जावे।

14- जॉच अधिकारी से आवेदन पत्र प्राप्त होने के साथ ही ऑन लाइन स्वीकृत/अस्वीकृत/अस्थायी स्वीकृत की कार्यवाही करवानें हेतु संबंधित कार्मिको को निर्देशित किया जावे।

15- जांच अधिकारी को रैण्डम जांच में अपूर्ण/अपात्र पाए गए आवेदन पत्रों के संबंध में संबंधित शिक्षण संस्था/विद्यार्थी को सूचित करवाना सुनिश्चित किया जाये।

16- सभी छात्रवृति स्वीकृतकर्ता अधिकारी (जिलाधिकारी, सान्याअवि एवं संस्था प्रधान) यह सुनिश्चित करें कि छात्रवृति राशि शत–प्रतिशत ट्रेजरी के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों के खाते में जाये। किसी भी स्थिति में डीडी एवं चैक के माध्यम से भुगतान नहीं किया जाये। यदि किसी विद्यार्थी का बचत खाता संख्या गलत है अथवा बचत खाता बन्द है तो ऐसी स्थिति में संबंधित शिक्षण संस्था एवं विद्यार्थी को दूरभाष एवं लिखित रूप से सूचित करावें। सूचना उपरान्त विद्यार्थी का सही बचत खाता संख्या प्राप्त होने एवं बचत खाता चालू होने की स्थिति में ऑनलाइन भुगतान ही किया जाना सुनिश्चित करें।

17- छात्रवृति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को शिक्षण संस्थान से आवेदन पत्र प्राप्त होने के अधिकतम 15 दिवस में आवेदन पत्रों की रैण्डम जांच सहित छात्रवृति स्वीकृत की जाकर बिल बनाकर ट्रेजरी में बिल भिजवाने तथा ट्रेजरी से बिल पारित करवाकर अधिकतम 30 दिवस में विद्यार्थी के खातें में राशि हस्तान्तरित करवाया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार कार्यवाही नहीं करने की स्थिति में संबंधित छात्रवृति स्वीकृतकर्ता अधिकारी (जिलाधिकारी, सान्याअवि एवं संस्था प्रधान) का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

4/8/14

(नवीन महाजन)
आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक : एफ 9 (4) (7)/छात्र/अं.ति./सान्याअवि/2014–15/40327-40406 जयपुर, दिनांक : 04.08.2014

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सचिव (पीसी), मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
4. निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारीता विभाग, जयपुर
5. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (अ.जा.ज.जा. कल्याण), सान्याअवि, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, देवनारायण योजना आयुक्तालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
7. जिला कलेक्टर (समस्त)
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
9. सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यालय को समाचार पत्रों में प्रचार–प्रसार हेतु।
10. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/प्रोग्रामर, मुख्यावास को भेजकर लेख है, कि, उपरोक्त अधिकारियों को जरिये ई–मेल सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करे।

04/08/2014

(डॉ. हरसहाय मीणा)
अति. निदेशक (अनु. जाति/जनजाति)

उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता योजना छात्रवृत्ति

राजस्थान सरकार

परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर

क्रमांक एफ–3 ( )/टीएडी/शिक्षा/2014–15/3157-69 दिनांक : 2-12-14

1 अधिष्ठाता, विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर।
2 अधिष्ठाता, वाणिज्य महाविद्यालय, उदयपुर।
3 अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी (कला) महाविद्यालय, उदयपुर।
4 रजिस्ट्रार, राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय, उदयपुर।
5 प्राचार्य, मीरा गर्ल्स महाविद्यालय, उदयपुर।
6 प्राचार्य, महाराणा संस्कृत महाविद्यालय, उदयपुर।
7 प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय कोटडा/झाडोल/खेरवाडा/सराडा जिला उदयपुर।
8 प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, खेरवाडा जिला उदयपुर।
9 प्राचार्य, हाडीरानी महाविद्यालय, सलूम्बर जिला उदयपुर।

विषय – महाविद्यालय में वर्ष 2014–15 में अध्ययनरत **जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता योजना** बाबत।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि महाविद्यालयों में वर्ष 2014–15 में अध्ययनरत छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। **पात्रता निम्नानुसार है –**

1. छात्रा जो अनूसूचित क्षेत्र का निवासी है।
2. छात्रा जिनके अभिभावक आयकर दाता नही है यदि अभिभावक राजकीय सेवा में हो तो फार्म नं 16 की प्रति।
4. जनजाति छात्रा नियमित अध्ययनरत हो।

अतः पात्र छात्राओं के प्रस्ताव आप द्वारा प्रमाणित कर समेंकित सूची निम्न प्रारूप में दो प्रतियों के साथ शीघ्रताशीघ्र इस कार्यालय में भेजने का श्रम करावें।

योजना का नाम – उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता योजना हेतु दिनांक :
महाविद्यालय का नाम – राजकीय महाराणा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय उदयपुर कुल छात्र संख्या : 7
महाविद्यालय का Ac.No./ Bank Name/IFSC Code 69340116812 - [illegible]

क्र. सं.	नाम छात्र/छात्रा	पिता का नाम	स्थाई पता मय मोबाईल नं.	अध्ययनरत कक्षा	बैंक खाता संख्या	बैंक का नाम	IFSC Code	राशि

उपरोक्त सूची की सूचना हार्ड कापी में (माईक्रोसोफट एक्सल) एवं सी0डी0 में तैयार की जाकर साथ में भिजवाने का श्रम करावें।

परियोजना अधिकारी
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर

क्रमांक एफ–3 ( )/टीएडी/शिक्षा/2014–15/3157-69 दिनांक : 2-12-14

प्रतिलिपि – श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।

परियोजना अधिकारी
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर